रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1380] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2017/वैशाख 25, 1939
No. 1380] NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2017/VAISAKHA 25, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई , 2017

का.आ. 1563(अ).—प्रारुप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 436 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2016, को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसकी उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 4 फरवरी, 2016, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति और पणधारी से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुआ था;

और, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पेन्नार नदी के किनारे प्रोद्यतूर स्थित है और यह क्षेत्र 2.3952 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान में बालू के टीलों का पारिस्थितिक तंत्र *टीकोमा* प्रजाति (टीकोमा) (सुवरनागन्नेरू), *डालबरजियासिसो* (इंडियनद टेकवुड) (*सिसो*), *इउकालाइपट्स* (जैम ओइल ट्री)(नीलगिरी), *पाल्मीरा* (ताली) के वृक्षों कि प्रजातियों को स्वाभाविक रूप से मदत करता है और अन्य वृक्ष प्रजातियां, जिसमें ब्लैक नप्पी हरे (*लेपसिनिगरिकोलिस*) (कुंडेलू), पीकॉक (*पोकोकिस्टिटास*) (नेमेलली), पराकेट (*पित्ताकुलकररामरी*) (चिलुका) और अन्य प्रजातियों को आश्रय देते हैं;

और, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 500 मीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से लगभग 500 मीटर और कुल 4.1506 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र है और इसमें कडुपा जिले के 4 ग्राम सम्मिलित हैं |

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची निर्देशांकों के साथ **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इसके अक्षांशों और देशांतरों के साथ **उपाबंध- II** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) सीमा विवरण के निर्देशांकों के द्वारा **उपाबंध IIक** के रूप में उपाबद्ध है।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशांक **उपाबंध- III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि ;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

IndiaCode

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पैरा 4 है और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकास सुनिश्चित करना और बढ़ावा देना।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीक कामपलेक्स या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप जो पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

IndiaCode

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

3. **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) होटलों और रिर्सोटों का नया संनिर्माण राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिर्सोटों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और अभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) पारिस्थितिक पर्यटन मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए आंचलिक महायोजना बनाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, क्षेत्रों और प्रसीमाओं कलात्मक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर तैयार करनी होगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके संशोधनों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), 2000 के अनुसार तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जब (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

क. पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

ख. स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

ग. जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

घ. अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

IndiaCode

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन:-** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक इकाईयां -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को संवर्धित किया जाएगा ।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित, संवर्धित प्रवर्तक क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	(क) किसी भी नए या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	फर्मों, कंपनियों, आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।

	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात होंगे।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

13.	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों (एन.टी.एफ.टी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे(भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिस्राव का निस्सारण विनियमित होंगे ।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	निम्नीकृत भूमि, वन, आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपाबंधों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्

(i) जिला कलेक्टर, कडप्पा -अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य;

(iv) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, -सदस्य;

(v) प्रभागीय वन अधिकारी, प्रोदोत्तर वन्यजीव संभाग -सदस्य;

(vi) पर्यावरण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(vii) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य/ सदस्य-सचिव -सदस्य;

(viii) शहरी विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(ix) उप वन संरक्षक/प्रभागीय वन अधिकारी, कडप्पा प्रभाग -सदस्य सचिव।

6.निर्देश निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

IndiaCode

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/45/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

Indiacode

उपाबंध I

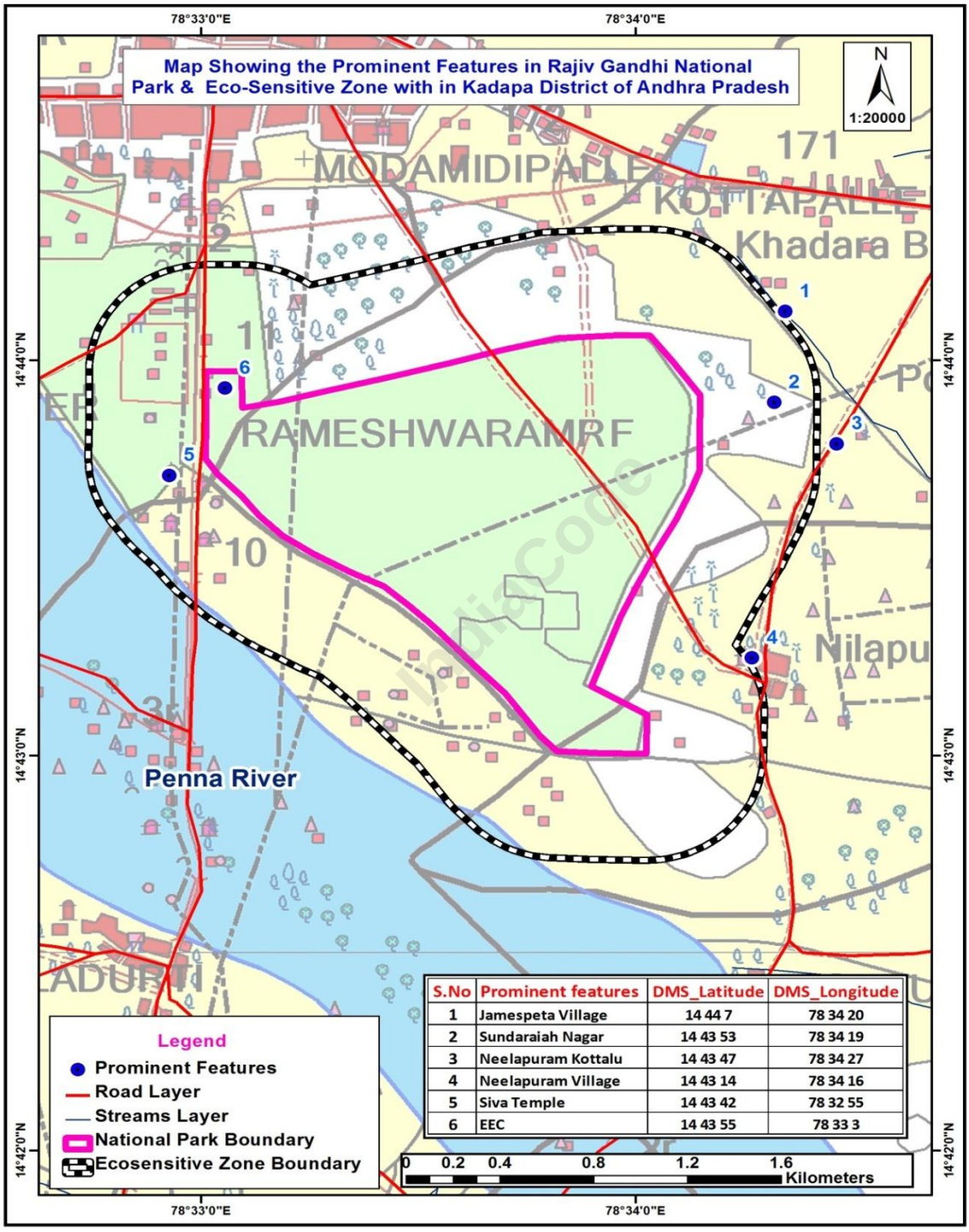
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की मंडल- वार सूची

क्र.सं	मंडल	ग्राम/नगर के नाम	निर्देशांक					
			अक्षांश			देशांतर		
			डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	प्रोदोत्तर	जमेसपेता गांव	14°	44'	0.007"	78°	34'	0.006"
2	प्रोदोत्तर	सुन्दराह नगर	14°	43'	0.013"	78°	34'	0.006"
3	प्रोदोत्तर	नीलापुरम कोन्ताल	14°	43'	0.001"	78°	34'	0.008"
4	प्रोदोत्तर	नीलापुरम गांव	14°	43'	0.002"	78°	34'	0.005"

IndiaCode

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध IIक

क्र.सं	प्रमुख विशेषताएं	डिग्री/मिनट/सैकेड अक्षांश	डिग्री/मिनट/सैकेड देशांतर
1	जमेसपेता गांव	14 44 7	78 34 20
2	सुन्दराह नगर	14 43 53	78 34 19

3	नीलापुरम कोन्ताल	14 43 47	78 34 27
4	नीलापुरम गांव	14 43 14	78 34 16
5	सीवा मंन्दिर	14 43 42	78 32 55
6	ई.ई.सी यूरोपीय आर्थिक समुदाय	14 43 55	78 33 3

उपाबंध III

राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांकों के बिंदु

क्र.स.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	इ01	78° 28.058' पू	16° 4.136' उ
2	इ 02	78° 25.835' पू	16° 12.906' उ
3	इ 03	78° 33.786' पू	16° 11.962' उ
4	इ 04	78° 38.382' पू	16° 16.235' उ
5	इ 05	78° 47.375' पू	16° 29.403' उ
6	इ 06	79° 0.062' पू	16° 29.235' उ
7	इ 07	78° 52.522' पू	16° 33.391' उ
8	इ 08	79° 4.859' पू	16° 35.264' उ
9	इ 09	79° 12.882' पू	16° 38.781' उ
10	इ 10	79° 18.363' पू	16° 40.284' उ
11	इ 11	79° 25.409' पू	16° 42.424' उ
12	इ 12	79° 28.466' पू	16° 34.997' उ
13	इ 13	79° 17.716' पू	16° 32.999' उ
14	इ 14	79° 17.494' पू	16° 19.870' उ
15	इ 15	79° 13.298' पू	15° 57.795' उ
16	इ 16	79° 13.298' पू	15° 57.795' उ
17	इ 17	79° 7.298' पू	15° 55.651' उ
18	इ 18	78° 50.990' पू	15° 52.065' उ
19	इ 19	78° 42.136' पू	15° 51.905' उ
20	इ 20	78° 36.133' पू	15° 58.235' उ
21	इ 21	78° 36.125' पू	16° 4.924' उ

IndiaCode

राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांकों के बिंदु

क्र.स.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	इ 01	78° 25.635' पू	16° 7.408' उ
2	इ 02	78° 24.784' पू	16° 11.852' उ
3	इ 03	78° 29.844' पू	16° 14.132' उ
4	इ 04	78° 31.589' पू	16° 16.070' उ
5	इ 05	78° 38.381' पू	16° 20.273' उ
6	इ 06	78° 47.496' पू	16° 30.654' उ
7	इ 07	78° 56.525' पू	16° 35.011' उ
8	इ 08	79° 7.220' पू	16° 36.809' उ
9	इ 09	79° 16.372' पू	16° 40.570' उ
10	इ 10	79° 22.526' पू	16° 42.724' उ
11	इ 11	79° 29.176' पू	16° 34.938' उ
12	इ 12	79° 22.915' पू	16° 31.767' उ
13	इ 13	79° 19.399' पू	16° 27.296' उ
14	इ 14	79° 16.640' पू	16° 18.796' उ
15	इ 15	79° 15.305' पू	16° 7.719' उ
16	इ 16	79° 15.765' पू	15° 57.192' उ
17	इ 17	79° 5.996' पू	15° 53.059' उ
18	इ 18	78° 56.738' पू	15° 50.922' उ
19	इ 19	78° 50.676' पू	15° 49.451' उ

indiacode.nic.in

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, February, 2017

S.O. 1563(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 436 (E), dated the 4th February, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public the said notification were made available to the public 4th February, 2016, ;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, Rajiv Gandhi National Park is located in the Kadapa District of Andhra Pradesh on the banks of River Pennar near Proddatur town and is spread over an area of 2.3952 square kilometres;

AND WHEREAS, the Rajiv Gandhi National Park has sand dune ecosystem which supports naturally occurring *Tecoma* species (tekoma) (SuvarnaGanneru), *Dalbergiasissoo (Indian Teakwood) (Sissoo), Eucalyptus (Jam Oil Tree) (Nilagiri), Palmyrah (Tali)* species and other plant species which also harbours fauna like Black napped Hare *(*Lepusnigricollis) (Kundelu),Peacock (*Pavocristatus)*(Nemali), Parakket (*Psittaculakrameri*) (Chiluka) and other reptiles;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Rajiv Gandhi National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and to prohibit their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 500 meters from the boundary of Rajiv Gandhi National Park in the State of Andhra Pradesh, as the Rajiv Gandhi National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone is 500 Metres all around the boundary of Rajiv Gandhi National Park and covers an area of 4.1506 square kilometres and includes four villages in Kadapa District.

(2) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with coordinates is given at **Annexure-I.**

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitude–longitude is appended as **Annexure II.**

(4) The boundary details in the form of coordination are appended as Annexure II A.

(5) The co-ordinates of Rajiv Gandhi National Park and co-ordinates of Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-III.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj ;
(xi) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table is paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1) Landuse.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents, and for the activates such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under is paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer m from the boundary of the Rajiv Gandhi National Park or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, however, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their preservation and conservation of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder..

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time.

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone..

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.-The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution: Prevention and control of vehicular pollution shall be with done in accordance with applicable laws.

(16) Industrial Units: (i) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone. as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

IndiaCode

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, shall be regulated as per applicable regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws. (b) Construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).

15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the eco- sensitive zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of hill slopes and river banks	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity shall be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light, etc. shall be actively promoted .
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification which shall comprise of the following, namely:-

(i) District Collector, Kadappa -Chairman;
(ii) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years - Member;
(iii) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years - Member;
(iv) Regional Officer, State Pollution Control Board – Member;
(v) The Divisional Forest Officer, Proddatur Wildlife Division – Member;
(vi) Representative of the Department of Environment, Government of Andhra Pradesh – Member;
(vii) Member-Secretary/Member of the State Biodiversity Board - Member;
(viii) Representative of the Department Of Urban Development, Government of Andhra Pradesh – Member;
(ix) Deputy Conservator of Forests/ Divisional Forest Officer, Kadapa Division – Member Secretary.

6. Terms of reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years.
(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

Annexure I

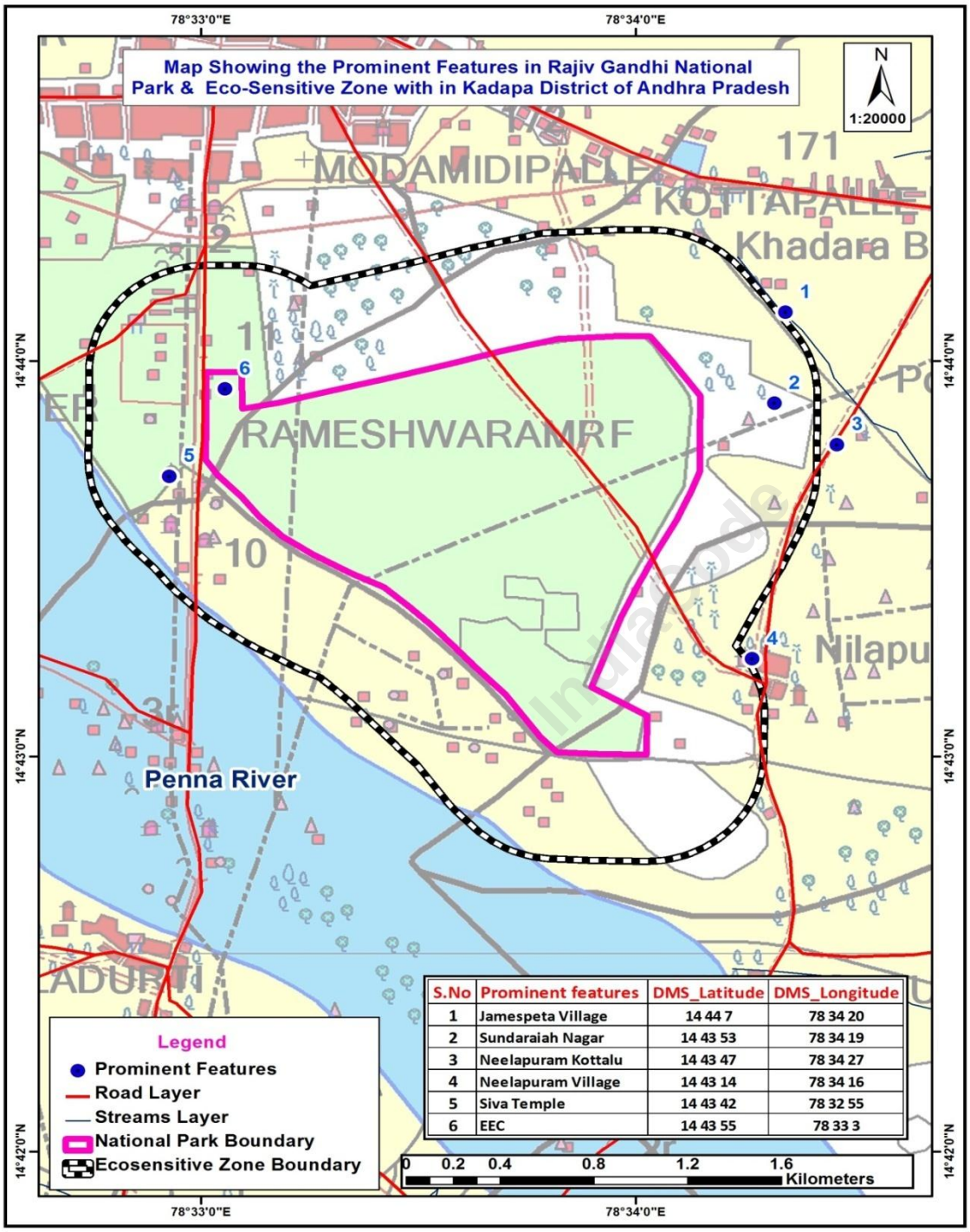
MANDAL WISE LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN IN THE ECO SENSITIVE ZONE OF RAJIV GANDHI NATIONAL PARK

S.No.	Mandal	Name of the Town / Village	Coordinates					
			Latitude			Longitude		
			Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	Proddatur	Jamespeta Village	14˚	44'	0.007"	78˚	34'	0.006"
2	Proddatur	Sundaraiah Nagar	14˚	43'	0.013"	78˚	34'	0.006"
3	Proddatur	NeelapuramKottalu	14˚	43'	0.001"	78˚	34'	0.008"
4	Proddatur	Neelapuram Village	14˚	43'	0.002"	78˚	34'	0.005"

[F. No. 25/45/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure -II



S.No	Prominent features	DMS_Latitude	DMS_Longitude
1	Jamespeta Village	14 44 7	78 34 20
2	Sundaraiah Nagar	14 43 53	78 34 19
3	Neelapuram Kottalu	14 43 47	78 34 27
4	Neelapuram Village	14 43 14	78 34 16
5	Siva Temple	14 43 42	78 32 55
6	EEC	14 43 55	78 33 3

Annexure -II A

S.No.	Prominent features	Degree/Minutes/Second Latitude	Degree/Minutes/Second Longitude
1	Jamespeta Village	14 44 7	78 34 20
2	Sundaraiah Nagar	14 43 53	78 34 19
3	NeelapuramKottalu	14 43 47	78 34 27

4	Neelapuram Village	14 43 14	78 34 16
5	Siva Temple	14 43 42	78 32 55
6	EEC	14 43 55	78 33 3

Annexure –III

Global Positioning System co-ordinates of points along the boundary Rajiv Gandhi National Park

Sl_No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	78° 28.058' E	16° 4.136' N
2	E02	78° 25.835' E	16° 12.906' N
3	E03	78° 33.786' E	16° 11.962' N
4	E04	78° 38.382' E	16° 16.235' N
5	E05	78° 47.375' E	16° 29.403' N
6	E06	79° 0.062' E	16° 29.235' N
7	E07	78° 52.522' E	16° 33.391' N
8	E08	79° 4.859' E	16° 35.264' N
9	E09	79° 12.882' E	16° 38.781' N
10	E10	79° 18.363' E	16° 40.284' N
11	E11	79° 25.409' E	16° 42.424' N
12	E12	79° 28.466' E	16° 34.997' N
13	E13	79° 17.716' E	16° 32.999' N
14	E14	79° 17.494' E	16° 19.870' N
15	E15	79° 13.298' E	15° 57.795' N
16	E16	79° 13.298' E	15° 57.795' N
17	E17	79° 7.298' E	15° 55.651' N
18	E18	78° 50.990' E	15° 52.065' N
19	E19	78° 42.136' E	15° 51.905' N
20	E20	78° 36.133' E	15° 58.235' N
21	E21	78° 36.125' E	16° 4.924' N

Global Positioning System co-ordinates of points along the boundary of Eco-sensitive Zone of Rajiv Gandhi National Park

Sl_No	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	78° 25.635' E	16° 7.408' N
2	E02	78° 24.784' E	16° 11.852' N
3	E03	78° 29.844' E	16° 14.132' N
4	E04	78° 31.589' E	16° 16.070' N
5	E05	78° 38.381' E	16° 20.273' N
6	E06	78° 47.496' E	16° 30.654' N
7	E07	78° 56.525' E	16° 35.011' N
8	E08	79° 7.220' E	16° 36.809' N
9	E09	79° 16.372' E	16° 40.570' N
10	E10	79° 22.526' E	16° 42.724' N
11	E11	79° 29.176' E	16° 34.938' N
12	E12	79° 22.915' E	16° 31.767' N
13	E13	79° 19.399' E	16° 27.296' N
14	E14	79° 16.640' E	16° 18.796' N
15	E15	79° 15.305' E	16° 7.719' N
16	E16	79° 15.765' E	15° 57.192' N
17	E17	79° 5.996' E	15° 53.059' N
18	E18	78° 56.738' E	15° 50.922' N
19	E19	78° 50.676' E	15° 49.451' N

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.20 11:41:42 +05'30'